



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554

e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-451/NH-47/Water/2024-25/2557

Date: 28.02.2025

Invitation of Public Comments

Sub: Four laning of Nagpur- Saoner- Betul section of NH-69 (New NH-47) from kms. 3.000 to km kms 59.300 in the State of Maharashtra and from kms 137.000 to kms 257.400 in the State of Madhya Pradesh on DBFOT (Annuity) Basis-
Proposal for permission to carry out Horizontal Direct Drilling (HDD) for laying water pipeline along & across on NH-47 Nagpur- Betul Road -Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Nagpur letter no. 5138 dated 19.02.2025.
2. GM MP Jal Nigam, PIU Chhindwara letter no. 4823 dated 28.11.2024.

It is to inform all concerned that GM MP Jal Nigam, PIU Chhindwara letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU, Nagpur has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that GM MP Jal Nigam, PIU Chhindwara for subject section is as follows:

- Laying between from km. 30.700 to km 43.600.
 - Crossing at km 30.700 & km 43.300.
3. As per Para-4 of Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).
 4. In view of the above, the comments / objections of affected public are hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 28.01.2016 due to above utility on the subject stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments / objections will be accepted.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
National Highways Authority of India,
"Narang Towers", 3rd Floor,
Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra
Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

(Signature)
28/2/25

(Nirmal M. Zade)
General Manager (Tech.)

Copy to:

1. Web Admin., NHAI, HQ, New Delhi for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर: "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur: "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554

e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचआई/आरओ/एनएजी/यूटी-451/एनएच-47/जल/2024-25/ 2557

दिनांक: 28.02.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में एनएच-69 (नया एनएच-47) के नागपुर- सावनेर -बैतूल खंड को किमी 3.000 से किमी 59.300 तक और मध्य प्रदेश राज्य में किमी 137.000 से किमी 257.400 तक डीबीएफओटी (वार्षिक) आधार पर चार लेन का बनाना - एनएच-47 नागपुर-बैतूल रोड पर पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए क्षैतिज प्रत्यक्ष ड्रिलिंग (एचडीडी) करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव।

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू नागपुर पत्र क्रमांक 5138 दिनांक 19.02.2025।
2. जीएम मप्र जल निगम, पीआईयू छिंदवाड़ा पत्र क्र. 4823 दिनांक 28.11.2024.

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि जीएम एमपी जल निगम, पीआईयू छिंदवाड़ा ने संदर्भ (2) के तहत पत्र के माध्यम से विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीडी, पीआईयू, नागपुर ने सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2. जीएम एमपी जल निगम, पीआईयू छिंदवाड़ा द्वारा विषय खंड के लिए प्रस्तावित संरक्षण निम्नानुसार है:

- किमी 30.700 से किमी 43.600 के बीच स्थित है।
- किमी 30.700 एवं किमी 43.300 पर क्रॉसिंग।

3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपतियां (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 28.01.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपतियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपतियाँ/टिप्पणियाँ जनता की टिप्पणियों के जारी होने से 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपतियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर्स", तीसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल : ronagpur@nhai.org

(Handwritten signature)
28/2/25

(निर्मल एम. झाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

1. वेब एडमिन, एनएचआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-admin@nhai.org]
2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075

Head Office : G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110 075